

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3269

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

सक्षम आंगनवाड़ी

3269. श्री जी.एम. हरीश बालयोगी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नयन हेतु स्वीकृत, वास्तव में उन्नत और संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की जिलावार संख्या कितनी है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन हेतु जिलावार आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि कितनी है;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित या उन्नत किए गए राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जिलावार संख्या कितनी है;
- (घ) वर्तमान में आंध्र प्रदेश में उन्नत एईसी से लाभान्वित होने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की जिलावार संख्या कितनी है;
- (ङ.) आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वर्तमान रिक्ति का जिलावार ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन की प्रक्रिया में कोई विलंब या चुनौती का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख सरकारी स्वामित्व वाले आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को बेहतर पोषण

प्रदायगी और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में मजबूत और उन्नत किया जाता है। सक्षम आंगनवाड़ियों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया गया है, जिसमें एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना, पोषण वाटिका, ईसीसीई और बाला पेंटिंग शामिल हैं। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नयन के लिए विचार किए जाने वाले आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आवश्यक शर्तों में सरकारी स्वामित्व वाला भवन, बिजली/विद्युत आपूर्ति की सुविधा, पेयजल सुविधा, कार्यशील शौचालय और रसोईघर शामिल हैं।

आज तक, कुल 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें आंध्र प्रदेश के 9958 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन के लिए स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। उन्नयन के लिए राज्य को 59.75 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की गई है, जिसमें से अब तक 5.25 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

22 जुलाई 2025 तक, आंध्र प्रदेश राज्य में पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) पहल के तहत कुल 2050 राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (सीडीपीओ, पर्यवेक्षकों और अतिरिक्त संसाधन व्यक्तियों) और 53,321 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को प्रशिक्षित किया गया है।

आंध्र प्रदेश में वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्रों से लाभान्वित होने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं का जिला-वार विवरण, , पोषण ट्रैकर सार्वजनिक डैशबोर्ड पर उपलब्ध है और इसे <https://www.poshantracker.in/statistics> पर देखा जा सकता है।

वर्तमान में, जैसा कि आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किया गया है, राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 1025 पद रिक्त हैं।

अनुलग्नक

“सक्षम आंगनवाड़ी” के विषय पर दिनांक 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3269 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

आंध्र प्रदेश राज्य में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन के लिए स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की जिला-वार संख्या।

क्र.सं.	जिला	कल
1	अनंतपुरम	185
2	अल्लरी सीताराम राज (एएसआर)	181
3	अन्नमय्या	174
4	बापटला	261
5	चित्तूर	814
6	पूर्वी गोदावरी	704
7	एलरु	855
8	गुंटूर	204
9	काकीनाडा	488
10	कोनासीमा	340
11	कृष्णा	743
12	कूरनूल	146
13	नंधाल	101
14	एनटीआर	440
15	पीवीपी मान्यम	516
16	पलनाड	67
17	प्रकाशम	242
18	एसपीएसआर नेल्लर	401
19	श्री सत्या साई	154
20	श्रीकाकुलम	153
21	तिरुपति	475
22	पश्चिम गोदावरी	489
23	वाईएसआर कडपा	720
24	विशाखापत्तनम	400
25	विजयनगरम	400
26	कडपा	305
	कल	9958
